सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. AKM/1/2016/MAGR1/SEPROM/ RU-III

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
दिनांक /Dated: **07/11/2017**

To,

The Secretary,
Indian Council of Agricultural Research(ICAR)
Krishi Bhawan,
New Delhi-110001

Sub: Representation dated 12.11.2016 of Shri Ashok Kumar Meena, Section Officer, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi regarding promotion to the post of Under Secretary against ST point.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, NCST, on 02/11/2017 for taking necessary action. The compliance report in the matter may please be furnished to the Commission immediately.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director

Copy to:

Shri Ashok Kumar Meena,
Section Officer,
Indian Council of Agricultural Research,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

2. SAS, NIC, NCST

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- AKM/1/2016/MAGR1/SEPROM/RU-III)

श्री अशोक कुमार मीना, अनुभाग अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रोन्नति मे आरक्षण मे भेदभाव और अन्याय के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	02.11.2017
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री अशोक कुमार मीना, अनुभाग अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने प्रोन्नति मे आरक्षण में भेदभाव और अन्याय के संबंध मे दिनांक 16.11.2016 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया था।
2. अभ्यावेदन मे उन्होनें बताया है कि, कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली मे लगातार 17 वर्षों से उनके साथ अन्याय और अपमान किया जा रहा है। उन्हे आरक्षित कोटे के तहत प्रोन्नति नहीं दी जा रही और उनकी जगह अनारक्षित लोगों को प्रोन्नति दी जा रही है।
3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार कर सचिव, कृषि मंत्रालय को दिनांक 15.12.2016 को नोटिस भेजा तथा पंद्रह दिन के अंदर सभी तथ्य तथा आरोपों/मामलों पर की गई कार्रवाई से संबन्धित सूचना मांगी। इसका जवाब अप्राप्त होने पर दिनांक 30.01.2017 को स्मरण नोटिस भेज कर पुनः 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। स्मरण नोटिस का भी जवाब अप्राप्त रहा। अभ्यावेदक के आग्रह पर आयोग ने दिनांक 11.10.2017 को नोटिस जारी कर सचिव, कृषि मंत्रालय को बैठक के लिए दिनांक 02.11.2017 को 12:00 बजे आयोग में बुलाया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. दिनांक 02.11.2017 को आयोग मे बैठक के लिए श्री छविलेन्द्र राउल, अतिरिक्त सचिव (डी ए आर ई) तथा श्रीमती नम्रता शर्मा, उप सचिव (प्रशासन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली उपस्थित हुये।

5. अभ्यावेदक ने अवगत कराया कि वर्तमान मे वह अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए अहर्रता रखता है और चाहता है कि उसे इस पद पर प्रोन्नति दी जाय। सहायक से अनुभाग अधिकारी के पद पर उनकी पूर्व तिथि से प्रोन्नति का मामला न्यायालय मे लंबित है जिस पर न्यायालय मे ही विचार किया जाना है।

6. आयोग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से जानना चाहा कि मामले मे उनके कार्यालय ने क्या कार्यवाही की है। सचिव (डी ए आर ई) ने आयोग को अवगत कराया कि डी पी सी निर्मित नही होने के कारण अभ्यावेदक की प्रोन्नति मे विलंब हुआ है। साथ ही अभ्यावेदक के अलावा अन्य अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों के प्रोन्नति मे भी विलंब हुआ है। उन्होने अवगत कराया कि डी पी सी की बैठक एक सप्ताह के अंदर हो जाएगी और अभ्यावेदक को प्रोन्नति भी दे दी जाएगी।

7. मामले पर सुनवाई करने के पश्चात आयोग ने यह सुझाव दिया कि डीपीसी बैठक की कार्यवाही की प्रति और प्रोन्नति आदेश की प्रति के साथ आयोग को 15 दिन के अंदर सूचित किया जाय। साथ ही अभ्यावेदक यदि कृत कार्यवाही से संतुष्ट नही हो तब वह पुनः आयोग से न्याय के लिए निवेदन कर सकता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- AKM/1/2016/MAGR1/SEPROM/RU-III)

श्री अशोक कुमार मीना, अनुभाग अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रोन्नति मे आरक्षण मे भेदभाव और अन्याय के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
3. श्री आर. के. दूबे, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

कृषि मंत्रालय के अधिकारी

1. श्री छविलेन्द्र राउल, अतिरिक्त सचिव (डी ए आर ई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2. श्रीमती नम्रता शर्मा, उप सचिव (प्रशासन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली